(170)

वन विभाग

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. १४-१९-७६-दस-(२).—चूंकि राज्य शासन का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है. इसलिये वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) [illegible] है.

१. भौंकनी (मुंटेयिक्स मुंटजेक).
२. चिंकारा (गंजेला गंजेला बेनेटाई).
३. चीतल (एक्सिस एक्सिस).
४. चौसिंगा (टेट्रासेरस क्वाड्रिकार्निस).
५. माउस डीयर (ट्रग्युलस मेमिना).
६. नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस).
७. सांभर (सरव्हस यूनीकलर).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन., उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. १४-१९-७६-दस(२).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. १४-१९-७६-दस(२), दिनांक २६ मई १९७७ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन., उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 1977.

No. F. 14-19-76-X-(2).—Where as the State Government considers that it is expedient to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 61 of the Wild Life (Protection) Act, 1972. (No. 53 of 1972) the State Government hereby transfers entries relating to the following animals from Schedule III to Part (II) of Schedule II :—

1. Barking deer or Muntjac (Muntiacus muntjak).
2. Chinkara or Indian Gazette (gazella gazella bennetti).
3. Chital (Axis axis).
4. Four horned antelope (Tetra-ceros quadricornis).
5. Mouse deer (Tragulus meminna).
6. Neelgai (Boselaphus tragocamelus).
7. Sambhar (Cervus unicolor).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. SEN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. फा.-२६-२२-७४-३-दस.--इस विभाग की अधिसूचना क्र. २४६-१०-६५, दिनांक १२ जनवरी १९६५ में, आंशिक संशोधन करते हुए तथा मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, [illegible] है.

अनुसूची

क्र. (1)	शक्ति (2)	पदाधिकारी (3)
१	अधिनियम की धारा ३ के अधीन इकाई गठित करने की शक्ति.	प्रमुख वन संरक्षक
२	अधिनियम की धारा ४ के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की शक्ति.	वन संरक्षक क्षेत्रीय
३	अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए आवेदन-पत्रों का आवाहन करने की शक्ति.	मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ जून १९७७,

क्र. १५-२२-७६-दस-(८).--वाईल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ की धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट क्र. १ एवं २ में दर्शाये गये क्षेत्रों को समस्त वन्य पक्षी तथा पशुओं के लिये अभयारण्य घोषित करता है.—

परिशिष्ट क्र. १

१. अभयारण्य एवं ब्लाक का नाम.—बोरी अभयारण्य.
२. जिला.—होशंगाबाद.
३. तहसील.—सोहागपुर.
४. परिक्षेत्र.—बोरी, सुखतवा, बागरा, सोहागपुर.
५. परिक्षेत्र.—बोरी, सुखतवा, सोहागपुर, ८०२८९ हेक्टर.

सीमा

उत्तर.—देनवा नदी.

पूर्व.—पचमढ़ी एवं पिपरिया परिक्षेत्र की सीमा.

दक्षिण.—बैतूल वन मंडल की सीमा.

पश्चिम.—तवा नदी.

परिशिष्ट २

१. अभयारण्य एवं ब्लाक का नाम.—पचमढ़ी अभयारण्य.

२. जिला.—होशंगाबाद.

३. तहसील सोहागपुर.

४. परिक्षेत्र.—पचमढ़ी एवं पिपरिया.

५. क्षेत्र का रकबा.—६५४.४९ वर्ग कि. मी. या ६५४४९ हेक्टर.

सीमा

उत्तर.—बनखेड़ी परिक्षेत्र की सीमा.

पूर्व.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.

दक्षिण.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.

पश्चिम.—बोरी अभयारण्य की सीमा.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अभिसूचना क्र. १३१३-६०८-दस-२-७५, दिनांक २२ मार्च १९७५ एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ जून १९७७.

क्र. १५-२२-७६-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. १५-२२-७६-दस-२, दिनांक १ जून १९७७ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव.

Bhopal, the 1st June 1977.

No. F. 15-22-76-X (2).—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the Lands specified in Schedule I and II below as Game Sanctuaries under the Act, for all animals and birds in the said sanctuaries :—

Schedule I

1. Name of sanctuary—Bori Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tehsil—Sohagpur.
4. Range—Bori, Sukhtawa, Bagra, Sohagpur.
5. Area—802.89 Sq. Km. or 80289 Hectare.

Boundaries

North—Denwa River.

East—Boundary of Pachmarhi Range and Piparia range.

South—Betul division boundary.

West—Tawa River.

Schedule II

1. Name of Sanctuary—Pachmarhi Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tahsil—Sohagpur.
4. Range—Pachmarhi and Piparia.
5. Area—654.49 Sq. Km. or 65449 Hectare.

Boundaries

North—Bankhedi Ranges boundary.

East—Chhindwara District boundary.

South—Chhindwara District boundary.

West—Boundary of Bori Game Sanctuary.

Madhya Pradesh, Forest Department Notification No. 1313-608-X-2-75, dated the 22nd March 1975 is hereby cancelled.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. SEN, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक २१ मई १९७७.

क्र. ५४५९-३६११-ग्यारह-अ.—इंडियन बायलर एक्ट, १९२३ की धारा ३४(२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, ओरिएन्ट पेपर मिल्स लि., अमलाई के बायलर क्रमांक एम. पी.-३१७३ को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा ६(ए) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक ४ जून से १ जुलाई १९७७ तक के लिये छूट देता है:—

(१) सन्दर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम १९२३ की धारा १८(१) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जायेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जायेगी;

(२) भारतीय अधिनियम की धारा १२ तथा १३ की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना सन्दर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जायेगा;

(३) सन्दर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो वह छूट समाप्त हो जावेगी;

(४) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जायेगा और उसका अभिलेख रखा जायेगा;

(५) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम १९६९ के नियम ६ की अपेक्षानुसार सन्दर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दिया जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कि. वि. सिंह, उपसचिव.